प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-15/2025 दिनांक 15.01.2025)
दिनांक-15.01.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना बरवापट्टी क्षेत्रान्तर्गत फलहारी बाबा की हुई हत्या की घटना का खुलासा, मय आलाकत्ल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.01.2025 को थाना बरवापट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमवाखास रामजानकी मन्दिर के पुजारी फलहारी बाबा पुत्र रामशरण दास उम्र लगभग 65 वर्ष की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए थाना बरवापट्टी पर मु0अ0स0 005/2025 धारा 103(1) BNS में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना के शीघ्र अनवारण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री अमित सक्सेना के नेतृत्व में दो टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. राजकरन महतो पुत्र गोपाल महतो सा0 अमवाखास टोला कपरधिक्का थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर, 2.मनोज शर्मा पुत्र गुल्ली शर्मा सा0 भुईधरवा थाना भितहा जनपद प0 चम्पारण (बिहार) को थाना बरवापट्टी व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना बरवापट्टी क्षेत्र से आज दिनांक 15.01.2025 को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में 4/25 आर्म एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्त राजकरन द्वारा बताया गया कि उसका सबसे छोटा पुत्र नन्दलाल था जिसको अमवाखास टोला कपरधिक्का स्थित रामजानकी मंन्दिर के पूजारी फलहारी बाबा ने नन्दलाल को करीब 09 वर्ष के उम्र मे ही अपने पास रख लिया था तथा उसकी देख-रेख करने लगे थे और नन्दलाल उसी मंन्दिर पर रहकर पूजा पाठ करने लगा था। किन्तु करीब 03-04 वर्ष पूर्व किसी बात को लेकर फलहारी बाबा ने नन्दलाल को मार पीट कर मन्दिर से भगा दिया था जिससे नन्दलाल क्षुब्द होकर नरायणी नदी मे कूदकर जान दे दी थी। उसी का बदला लेने हेतु राजकरन ने अपने साथी मनोज शर्मा के साथ मिलकर दिनांक 13.01.2025 को

Edit with WPS Office

चाकू से वारकर मन्दिर के पूजारी फलहारी बाबा की हत्या कर दी थी।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 005/2025 धारा 103(1),3(5) BNS व 4/25 आर्म एक्ट थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
1. राजकरन महतो पुत्र गोपाल महतो सा0 अमवाखास टोला कपरधिक्का थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2.मनोज शर्मा पुत्र गुल्ली शर्मा सा0 भुईधरवा थाना भितहा जनपद प0 चम्पारण (बिहार)

विवरण बरामदगी-
1. घटना में प्रयुक्त एक अदद नजायज चाकू
2. एक अदद घटना के समय में पहना हुआ शर्ट
3. एक अदद घटना के समय पहना हुआ पैंन्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. प्र0नि0 राजेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 आलोक यादव प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद –कुशीनगर
4. उ0नि0 मोहन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. उ0नि0 सुशील कुमार गौतम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
6. का0 रामकिशुन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
7. का0 रमेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

नोट- पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया।

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण, चोरी का 13,020/- रुपये नकद, चोरी गये तीन बैग में 27 शर्ट, 6 टी-शर्ट, 8 जिन्स आदि सामान व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल के साथ तीन शातिर चोर गिरफ्तार-

दिनांक 13.01.2025 को वादी गणेश सिंह निवासी गिदहा चक वैरिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर द्वारा जगदीशपुर चौराहे पर स्थित उनके कपड़े की दुकान से 12/13.01.2025 की रात्रि में कपड़े व

Edit with WPS Office

नकदी चोरी हो जाने के संबंध में थाना अहिरौली बाजार पर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 305ए बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 14.01.2025 को घटना से संबंधित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1- चोरी का 13,020/- रूपया नकद, 2- तीन बैग में चोरी के 27 शर्ट, 6 टी-शर्ट, 8 जिन्स, एक लोअर, तीन अदद गमछा, चार जोड़ी मोजा, एक अदद POND’S FACEWASH, एक अदद White Tone Face cream, 3- घटना में प्रयुक्त पल्सर वाहन यू0पी0 53 ई0पी0 5565 बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2)/317(4) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-
पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इनका एक संगठित गिरोह जिसका सरगना जमालुद्दीन पुत्र रिसाद उर्फ इरशाद अली है। इन लोगों द्वारा चोरी करने से पूर्व दुकान/घरों आदि का रेकी कर लेते हैं और मौका देखकर घटना को अंजाम देते हैं।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1- जमालुद्दीन पुत्र रिसाद उर्फ इरशाद अली साकिन बेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2- समशुद्दीन अली उर्फ़ छोटे पुत्र नशुरुद्दीन अली निवासी बिन्दुआर थाना अहिरौली बाज़ार जनपद कुशीनगर
3- अब्दुल रहीम उर्फ़ जग्गू पुत्र रिशाद अली निवासी बिन्दुआर माफ़ी टोला थाना अहिरौली बाज़ार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
1- चोरी का 13,020/- रूपया नकद
2- तीन बैग में चोरी के 27 शर्ट, 6 टी-शर्ट, 8 जिन्स, एक लोअर, तीन अदद गमछा, चार जोड़ी मोजा, एक अदद POND’S FACEWASH, एक

Edit with WPS Office

अदद White Tone Face cream
3- घटना में प्रयुक्त पल्सर वाहन यू0पी0 53 ई0पी0 5565

अभियुक्त जमालुद्दीन का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 08/2005 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 1224/2009 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 347/2010 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 91/2012 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 99/2012 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 840/2016 धारा 380, 411 भादवि थाना कैंट जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 97/2020 धारा 380, 411, 413 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 35/2022 धारा 41, 411, 413 भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर
9. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 60 EX. ACT. थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
10. मु0अ0सं0 274/2024 धारा 305(a), 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
11. मु0अ0सं0 290/2024 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-
01. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
03. अनिल यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. का0 अमित कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
5. का० गुड्डू राजभर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

जनपद कुशीनगर में विंछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.01.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 851/24 धारा धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अंकित सक्सेना पुत्र सुनील सक्सेना निवासी शारदा बाई आश्रम मैनपुरी रेलवे स्टेशन के सामने थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 851/24 धारा धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकित सक्सेना पुत्र सुनील सक्सेना निवासी शारदा बाई आश्रम मैनपुरी रेलवे स्टेशन के सामने थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री वरूण सांकृत चौकी प्रभारी सुभाष चौक थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का0 कैलाशनाथ थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 मनोज यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 14 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-63 वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-**33**, व्यक्ति-100

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-20)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office